राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :लेखा/बैठक/2011/ 119 दिनांक : 11.4.2011

सहायक लेखाधिकारियों की मासिक बैठक दिनांक 8–04–2011 का कार्यवाही विवरण

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के अधीनस्थ कार्यालय, संयुक्त निदेशक जोन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारियों /लेखाकर्मियों की मासिक बैठक दिनांक 8–04–2011 को वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में निदेशालय सभागार में आयोजित की गयी।

उपस्थित अधिकारियों/कार्मिकों की सूची परिशिष्ट *"अ"* पर संलग्न है बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श पश्चात् निर्णय लिये गये :–

क्र.सं.	बिन्दु जिस पर चर्चा हुई	निर्णय लिया गया	अनुपालना जिसके द्वारा की जानी है
1	ऑनलाईन बजट आवंटन हेतु एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) विभाग में लागू किया जाना।	ऑनलाईन बजट आवंटन हेतु एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) विभाग में लागू की जा रही है। इस बाबत समस्त हेड ऑफिस कार्यालयों से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारूप में मय डीडीओ कोड के चाही गयी है। कुछ कार्यालयों द्वारा वांछित सूचना अभी तक नहीं भिजवायी गयी। ऐसी सूचना दिनांक 13–04–2011 तक निदेशालय में विशेष वाहक के मार्फत भिजवायी जावें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
2	बकाया दायित्वों (Pending Libilities) की सूचना भिजवाने बाबत	वित्त विभाग द्वारा बजट घोषणा के अनुसार अप्रेल 2011 से जून 2011 तक एक अभियान चलाकर बकाया दावों के निस्तारण के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। अतः इस निदेशालय के पत्र क्रमांक लेखा/एफए/पीए/2011/42 दिनांक 7.04.2011 के द्वारा प्रपत्र संलग्न कर पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं, सम्बन्धित बकाया दायित्वों (यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता सम्बन्धी दावों को छोड़कर) की सूचना निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 18–04–2011 तक भिजवावें एवं हर माह बकाया दायित्वों के निपटारों की सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक जोन द्वारा समीक्षा की जावें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
3	जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना बाबत विशेष अभियान	महालेखाकार, आन्तरिक जांच/निरीक्षण विभाग के बकाया आक्षेपों की अनुपालना बाबत दिनांक 4–05–11 से 11–05–11 तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कार्यालय स्तर पर विशेष अभियान चलाया जावे तथा इसकी मोनेटरिंग सहायक लेखाधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक सम्बन्धित जोन द्वारा की जावे **अभियान में विशेष तौर से निरीक्षण विभाग के विशेष जांच प्रतिवेदनों की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालनायें प्राप्त की जावें तथा दिनांक 13–05–11 को सहा. लेखाधिकारियों की मीटिंग में साथ लेकर आवें।**	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
4	निस्तारण योग्य नकारा वाहनों/अनुपयोगी सामग्री की कार्यालयवार सूचना भिजवाने बाबत्	दिनांक 1–04–2011 को निस्तारण योग्य सम्पूर्ण नकारा वाहनों/अनुपयोगी सामग्री की कार्यालयवार सूची मय निस्तारण से संभावित प्राप्ति राशि के सूचना दिनांक 13–05–11 को आगामी बैठक में उपलब्ध करावें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
5	महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालनाएं भिजवाने बाबत	समस्त सहायक लेखाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि स्वयं के कार्यालय सहित उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त कार्यालयों/चिकित्सालयों के महालेखकार निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालनायें सम्बन्धित से एकत्रित कर दिनांक 27–04–2011 को निदेशालय में विशेष वाहक के मार्फत उपलब्ध करावें एवं भविष्य में भीं प्राप्त प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन जारी होने के एक माह की अवधि में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन

6	दिनांक 31–03–2011 तक के व्यय विवरण पत्र	दिनांक 31–03–2011 तक व्यय विवरण पत्र इस बैठक में उालब्ध करवाये जाने थे, परन्तु कुछ कार्यालयों के व्यय विवरण पत्र अभी तक प्राप्त होना शेष है। सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी सम्बन्धित कार्यालय से 31–03–2011 तक के बकाया रहे व्यय विवरण पत्र प्राप्त कर दिनांक 18–04–2011 तक भिजवावें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
7	नकारा वाहनों/अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण से प्राप्त आय का लेखांकन	राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 8(12) वित्त–1(1)आ.व्यय/2007 दिनांक 27.01.11 के अनुसार संघ एवं राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षो की सूची के पैरा 2.3 के क्रम में अनुपयोगी सामग्री/नकारा वाहनों के निस्तारण की प्राप्त राशि को जमा कराने हेतु सभी राजस्व प्राप्तियों में मुख्य शीर्ष एवं उप मुख्य शीर्ष खोले गये है। पत्र की प्रति पूर्व में सभी को भिजवायी गयी थी एवं बैठक में भी उपलब्ध करवा दी गयी है। परिपत्र में जारी दिशा–निर्देशानुरूप प्राप्त आय सम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा करायी जानी है एवं वित्तीय वर्ष 2010–11 में यदि उक्त मदों की प्राप्त आय अन्य बजट शीर्ष में जमा करायी गयी है तो समस्त सहायक लेखाधिकारी अपने–अपने क्षेत्राधिकार कार्यालयों के सम्बन्ध में हस्तानान्तरण प्रविष्टयां निदेशालय के बजट अनुभाग में दिनांक 30–04–2011 तक भिजवायी जानी सुनिश्चित करें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
8	वर्ष 2011–12 में जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में हस्तानान्तरित कार्यालय के बजट मद	पंचायत राज संस्थाओं के अधीन हस्तान्तरित कार्यालयों/गतिविधियों के लिये एवं अनु.जन जाति उपयोजना (TSP)/अनु.जाति उपयोजना (SCSP) के लिए निर्धारित बजट मदों में आवंटन के अनुसार ही वर्ष 2011–12 में व्यय किया जाना सुनिश्चित करे।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
9	जोन स्तर पर लेखा कर्मियों की बैठक करने बाबत्	समस्त सहायक लेखाधिकारी जोन कार्यालयों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह जोन स्तर पर उनके अधीनस्थ कार्यालयों के समस्त सहायक लेखाधिकारी/लेखाकर्मियों की बैठक का नियमित रूप से आयोजन किया जाकर प्रगति समीक्षा की जावें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
10	आवंटित बजट का अनुपातिक रूप से उपयोग करने बाबत्।	आवंटित बजट को नियमानुसार हर माह व्यय किया जावे। वर्ष के अन्त में समर्पित करना अथवा अन्तिम माह में अधिकतम व्यय करना वित्तीय नियमों के अनुकूल नहीं है अतः हर माह नियमानुसार अनुपातिक रूप से आवंटन बजट का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
11	चोरी/गबन के मामलें।	गत बैठकों में दिये गये निर्देशों के क्रम में चोरी/गबन के मामलों में शीघ्र वसूली एवं अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करा समस्त लम्बित गबन/चोरी प्रकरणों की नवीनतम बिन्दुवार सूचना निर्धारित प्रपत्र में आगामी बैठक दिनांक 13.05.11 में उपलब्ध करावें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन

आगामी बैठक दिनांक 13–05–2011 को आयोजित की जावेगी। बैठक का वरिष्ठ लेखाधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापित कर समापन किया।

(गुलजारी लाल शर्मा)
वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

D:\Rajendra ji AAO\Letter-2.doc

क्रमांक :लेखा/बैठक/2011/ 119   दिनांक : 11.4.2011

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. अति0 निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित) मुख्यालय।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
5. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0)/परिवार कलयाण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/मुख्य लेखाधिकारी, परिवार कल्याण/मुख्य लेखाधिकारी, आरएचएसडीपी/मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव, भण्डार कयण संगठन/वरिष्ठ लेखाधिकारी, आईईसी मुख्यालय।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी (बजट/निरीक्षण)/लेखाधिकारी मुख्यालय।
9. डॉ. एस.के. मोहनपुरिया, भण्डार अधिकारी मुख्यालय (मुख्यालय स्थित वाहन एवं भण्डार सामग्री के निस्तारण बाबत)
10. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन................................
11. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ...
12. सहायक लेखाधिकारी बजट/आन्तंरिक जांच/महालेखाकार मुख्यालय जयपुर।
13. प्रभारी सर्वर कृपया इस कार्यवाही विवरण को विभाग की वेब-साईट पर अपलोड़ करने का श्रम करे।
14. केयर टेकर, कृपया दिनांक 13/05/2011 को प्रातः 11:00 बजे से हॉल आरक्षित करें।
15. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर